17/10/23	पत्रावली पेश हुई। आज [illegible] आवश्यक कार्यवाही [illegible] होकर पत्रावली [illegible] 8.1.24 को पेश हो।
8/1/24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील याचिका उपस्थित। पत्रावली पर बहस सुनी गई। आदेश अलग से लिखकर जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णय मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

सीन अधिकारी :– श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

ं. 20 / 2022

ार्थीगण

1. बाबू वल्द जोधा
2. गोबरा वल्द जोधा
3. विशना वल्द उदाराम
4. भलाराम वल्द उदाराम

   जाति गुरूडा (गर्ग) निवासी डेडावास का गोलिया गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. अगराराम वल्द मांगाराम
2. केशाराम वल्द मांगाराम
3. वालाराम वल्द मांगाराम
4. हबताराम वल्द मांगाराम
5. मोतीराम वल्द मांगाराम
6. मनूदेवी पत्नी मांगाराम
7. मांगाराम वल्द रतनाराम
8. नेनूदेवी पत्नी भादाराम
9. वागाराम वल्द भादाराम
10. जेठा वल्द गोवा
11. करमी वल्द गोवा
12. परबता वल्द गोवा

    जाति कलबी निवासी लूणवा खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी
14. केहरा वल्द अजा
15. तगी पत्नी अजा
16. मेवा वल्द अजा
17. हरजी वल्द अजा
18. रताराम वल्द गिरधारीराम
19. रामाराम वल्द गिरधारीराम

    जाति गुरूडा (गर्ग) निवासी डेडावास जागीर तहसील गुडामालानी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए की उपधारा 1
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संशोधन अधिनियम 2010)

–: निर्णय :–

दिनांक :– 08.01.2024

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम डेडावास का गोलिया पटवार क्षेत्र रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी में खेत खसरा नम्बर 255 क्षेत्रफल 18.3484 हैक्टेयर की आई हुई है इसमें आने जाने हेतु कोई राजकीय कटान मार्ग नहीं है, सरकारी कटान मार्ग तक विप्रार्थी संख्या 1 से 12 के खसरा नम्बर 115 रकबा 0.1538 हैक्टेयर सरहद मौजा लूणवा खुर्द पटवार क्षेत्र लूणवा जागीर में से ही आ जा सकते हैं। इसी रास्ते का उपयोग पीडियों से करते आ रहे हैं। हरबार वारिस में काश्त करने से रास्ता अवरूद्ध हो जाता है तथा विप्रार्थीगण आने जाने में झगड़ा करते हैं। अतः हमारे खातेदारी खेत खसरा नम्बर 255 से कटान मार्ग तक आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 115 ग्राम लूणवा खुर्द में से

उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

संलग्न ''परिशिष्ठ–अ'' अनुसार राजस्व रेकर्ड में कटान मार्ग अपलिखित करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 13 भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट क्रमांक भू.अ. /2023/25 दिनांक 07.07.2023 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के ग्राम डेडावास का गोलिया के खेत खसरा नम्बर 255 रकबा 18.3484 हैक्टेयर में पहुंचने के लिये अन्य कोई राजकीय कटान मार्ग तक पहुंचने विकल्प विद्यमान नहीं है। ग्राम लूणवा खुर्द के खेत खसरा नम्बर 115 रकबा 0.1538 हैक्टेयर में से रास्ते की लम्बाई 30 गट्ठा एवं चौडाई 3 गट्ठा का कुल रकबा 0.0364 हैक्टेयर भूमि रास्ते के रूप में भूमि काम आयेगी, जो संलग्न नक्शा में बरंग 'लाल' दर्शित की है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं है, मौके पर खाली है, तथा आवागमन के उपयोग में ली जा रही है। प्रार्थीगण इसी रास्ते का पूर्व में व वर्तमान में आवागमन के उपयोग में ले रहे हैं, तथा वर्तमान में रास्ता चालू है।

प्रार्थीगण के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थीगण की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपनी रिर्पोट क्रमांक 25 दिनांक 07.07.2023 के संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए ''लाल रंग मार्क'' अनुसार कटान मार्ग से प्रार्थीगण की आराजी खेत खसरा संख्या 255 ग्राम डेडावास का गोलिया से कटान मार्ग तक में आने–जाने हेतु विप्राथीगण की खातेदारी भूमि ग्राम लूणवा खुर्द के खेत खसरा नम्बर 115 में से लम्बाई 30 गट्ठा एवं चौडाई 3 गट्ठा का कुल रकबा 0.0364 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु बरंग ''लाल'' संलग्न नक्शा अनुसार 'रास्ता' घोषित किए जाने के आदेश दिया जाते है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत किया गया परिशिष्ट 'अ' मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस को निर्णय का आवश्यक अंग मानते हुए प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

प्रार्थीगण द्वारा रास्ता प्राप्त करने के एवज में कितनी राशि का भुगतान विप्रार्थीगण को किया जाएगा, इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(1) (11)(अ) में स्पष्ट है कि अगर समझौते में क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं है तो जिला स्तरीय कमेटी (DLC) द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अगर कोई अन्य पेड, फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो अध्याय 70(2) के अन्तर्गत उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

निर्णयानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण को अवगत कराई जाएगी। तहसीलदार द्वारा गणना उपरांत बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक को प्रचलित दर की दो गुणा के बराबर होगी।

प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जाएगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी।

नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी। प्रार्थीगण को इस प्रकार दर्ज भूमि को 'रास्ते' के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार गुडामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8/1/25...... को खुले न्यायालय मजमेआम में सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी